भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3461

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मिलावटी/नकली पनीर की बिक्री और खपत

3461. श्री सप्तगिरी शंकर उलाकाः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को देशभर में रेस्तरां और भोजनालयों में नकली या मिलावटी पनीर की बिक्री और प्रयोग के संबंध में बढ़ती रिपोर्टों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे विनियम/अनिवार्य उपबंध हैं जिनमें रेस्तरां और खाद्य प्रतिष्ठानों को अपने व्यंजन सूची में प्रयोग किए जाने वाले पनीर के प्रकार और गुणवत्ता का स्पष्ट उल्लेख करना अपेक्षित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार अथवा खाद्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए आकलन के अनुसार मिलावटी पनीर के सेवन से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव और जोखिम जुड़े हैं;

(घ) सरकार द्वारा नकली पनीर के उत्पादन, बिक्री और उपयोग को रोकने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है और विगत दो वर्षों के दौरान किए गए निरीक्षणों और उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार का पनीर और इसी प्रकार के डेयरी उत्पादों के संबंध में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त दिशानिर्देश अथवा प्रमाणन मानक लागू करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क): भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) देशभर में रेस्तराओं और भोजनालयों सहित खाद्य व्यवसायों की लगातार निगरानी और निरीक्षण करता है। किसी भी उल्लंघन के मामले में, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार दोषियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रवर्तन अधिकारी विभिन्न माध्यमों से प्राप्त उल्लंघनों की रिपोर्टों, जैसे मिलावट पर तुरंत कार्रवाई करते हैं और उचित नियामक उपाय करते हैं।

(ख): खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 में सामान्य और विशिष्ट अपेक्षाओं का प्रावधान है जिन्हें खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों जैसे रेस्तरां आदि द्वारा यथास्थिति मेनू कार्डों अथवा बोर्डों अथवा

पुस्तिकाओं अथवा इलेक्ट्रॉनिक डिस्पले पर प्रदर्शित किए जाने की आवश्यकता होती है। इस जानकारी में अवयव और पोषण संबंधी जानकारी, कैलोरी मान, एलर्जेन संबंधी जानकारी, शाकाहारी/मांसाहारी लोगो शामिल हैं, जैसा कि उक्त विनियमन में निर्दिष्ट और प्रावधान है।

(ग): भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मिलावटी पनीर के सेवन से संबंधित स्वास्थ्य प्रभावों और जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन नहीं किया है।

(घ): एफ़एसएसएआई अपने क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और इसके तहत नियमों के तहत निर्धारित मानकों और आवश्यकताओं के अनुपालन की जांच और सत्यापन करने के लिए सर्विलान्स, निरीक्षण, निगरानी और रैंडम सैंपलिंग करता है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और एफ़एसएसएआई के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, गत 2 वर्षों में अनुपालन न करने वाले खाद्य व्यवसाय संचालकों के दुग्ध और दुग्ध उत्पादों के जांच किए गए नमूनों और उन पर की गई कार्रवाई के विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	जांच किए गए नमूने की संख्या	शुरू किए गए मामलों की संख्या	वर्तमान दोषसिद्धि और दंड
2022-23	39091	10381	6953
2023-24	38498	14384	7109

(ङ): दूग्ध और दूग्ध उत्पादों, जिसमें पनीर भी शामिल है, के संदर्भ में पारदर्शिता और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एफ़एसएसएआई द्वारा उठाए गए कदम निम्नलिखित हैं:-

- एफ़एसएसएआई ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य योजक) विनियमन, 2011 के माध्यम से डेयरी उत्पादों और समदर्शी उत्पादों के लिए मानक निर्धारित किए हैं।
- एफ़एसएसएआई ने उपभोक्ता और हितधारकों को जागरूक करने के लिए अपने वेबसाइट पर डेयरी एनालॉग और दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों पर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (एफ़एक्यू) अपलोड किए हैं।
- एफ़एसएसएआई द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और डिस्प्ले) विनियमन, 2020 के माध्यम से खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में जानकारी प्रदर्शित करने के लिए प्रावधान निर्धारित किए गए हैं।
- एफ़एसएसएआई ने उपभोक्ता और हितधारकों की जागरूकता बढ़ाने के लिए अपनी वेबसाइट पर "खाद्य सेवा प्रतिष्ठानों में जानकारी का प्रदर्शन (मेनू लेबलिंग)" पर एक मार्गदर्शिका प्रकाशित किया है।

*****